न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)

अपील संख्या 12/2020

1. शिवसिंह
2. शेरसिंह
3. रणधीर
4. विकम सिंह
5. नरेन्द्र सिंह
6. ऊधमसिंह

पिसरान वीरसिंह जाति जाट निवासी नयागांव खालसा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.......अपीलान्टान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर (भरतपुर)

.......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 03.06.2017 तहसीलदार भुसावर। नामान्तरकण संख्या 696 बाके ग्राम नयागांव खालसा पटवार हल्का सैथली तहसील भुसावर।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्टान

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 05.02.2021

अपीलान्टान ने यह अपील खिलाफ आदेश तहसीलदार भुसावर दिनांक 03.06.2017 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश मे नामान्तरकरण संख्या 696 ग्राम नयागांव

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

खालसा तहसील भुसावर खारिज किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 896 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर दर्ज की गई। रेस्पो0 की तलबी की गई है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2017 खिलाफ कानून होने से काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टान का नामान्तरकरण स्वीकार किया जाना चाहिये था लेकिन तहत न्यायालय ने खारिज करके कानूनी भूल की है। अपीलान्टान के पिता वीरीसिंह पुत्र अल्ला उर्फ दौजी एक ही व्यक्ति है और पटवारी रिपोर्ट में दिनाक 17.03.2017 में यह स्पष्ट किया गया है कि वीरीसिंह पुत्र अल्ला उर्फ दौजी एक ही व्यक्ति है. और अपनी रिपोर्ट में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की सिफारिस की है। उन्होने यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व नामान्तरकरण संख्या 256 वाके ग्राम नयागांव खालसा पर भी गौर नहीं किया गया जिसमें स्पष्ट है कि अल्ला उर्फ दोजी पुत्र कलुआ एक ही व्यक्ति और इनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 256 खोला गया है। उन्होने यह भी बताया कि गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 03.06.2017 मे भी स्पष्ट है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में वीरसिंह पुत्र दौजी दर्ज हे जबकि राजस्व रिकार्ड मे वीरसिंह पुत्र अल्ला एक ही व्यक्ति है। अपीलान्टान को विरासत का दाखिल खारिज स्वीकृत नही होने के सम्बन्ध में प्रथम जानकारी जब हुई अपीलान्टान किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया। जानकारीह होने पर दिनांक 18.02.2020 को नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने की दिनांक से अन्दर म्याद अपील पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिए दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अन्त में वकील अपीलान्टान ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा मृतक के नाम में भिन्नता होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जाच का बिन्दु है अतः प्रकरण को जांच हेतु तहसीलदार भुसावर को भेजा जाना उचित होगा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथमतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपील को अन्दर म्याद माना जाकर प्रकरण का मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 696 वाके ग्राम नयागांव खालसा तहसील भुसावर दिनांक 03.06.2017 के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित नामान्तरकरण मृतक वीरसिंह पुत्र अल्ला के विरासत का खोला जाना था लेकिन तहत न्यायालय मृतक के नाम में भिन्नता होने के कारण उक्त नामान्तरकरण खारिज किया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि मृतक वीरसिंह के विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना था लेकिन वीरसिंह के पिता अल्ला उर्फ दोजी (अल्ला व दोजी एक ही व्यक्ति) के दो नाम है, वीरसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र में वल्द दोजी है और पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अल्ला व दोजी को एक ही व्यक्ति अंकित किया है। नामान्तरकरण संख्या 696 के कॉलम संख्या 7 में वीरसिंह पुत्र अल्ला अंकित है एवं कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अल्ला व दोजी को एक ही व्यक्ति अंकित किया है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में नामान्तरकरण संख्या 256 एवं 205 ग्राम नयागांव खालसा तहसील भुसावर की छायाप्रति पेश की है। नामान्तरकरण संख्या 256 के कॉलम संख्या 7 में अल्ला उर्फ दौजी पुत्र कलुआ अंकित है, यह नामान्तरकरण मृतक अल्ला की विरासत का मुक्ती पत्नी एवं पुत्र वीरसिंह, लीलासिंह, नाहरसिंह, पदमसिंह के नाम खोला गया है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 205 ग्राम नयागांव खालसा तहसील भुसावर के कॉलम संख्या 5 में अल्ला उर्फ दौजी पुत्र कलुआ कौम जाट साकिन देह खातेदार अंकित है। यह नामान्तरकरण मृतक अल्ला उर्फ दौजी पुत्र कलुआ की विरासत का वीरसिंह, लालसिंह, नाहरसिंह, पदमसिंह पिस० अल्ला उर्फ दौजी के नाम खोला गया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि अल्ला व दौजी एक ही व्यक्ति है क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 256 व 205 में अल्ला उर्फ दौजी का उल्लेख किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि:–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक वीरसिंह पुत्र अल्ला उर्फ दौजी के विरासत के नामान्तरकरण में वीरसिंह पुत्र अल्ला उर्फ दौजी के बारे में पुनः जांच कर साक्ष्य वगैरा लेकर पक्षकारान को सुनवाई का विधिवत अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भुसावर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)